कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 3178 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,जून 28, 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में कुनारा–पासा नहर निर्माण हेतु वांछित वन भूमि0.69 हे0वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

सन्दर्भः– FP / UK/ IRRIG/7292/2014 इस कार्यालय का पत्रांक 3036 / 12–1 (1) दिनांक 11–6–2016 तथा आपका पत्रांक 3102 / 12–1 दिनांक 22–6–2016

उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयाकिंत प्रस्ताव में वांछित वन भूमि 0.69 का घनत्व के संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा दिनांक 6–6–2016 को हरियाली के घनत्व का पुनर्निरीक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में आपने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपत्ति का निराकरण ऑन लाईन कर दिया गया है। यह प्रक्रिया बहुत ही खेदजनक तथा आपत्तिजनक है। आपका दायित्व था कि प्रचलित प्रबन्ध योजना में उक्त कार्यवृत्त जिसमें वन भूमि वांछित है, के निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की अनुपालन सूचना अंग्रेजी में भरा गया भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित कर उसको पदनाम समूहर हस्ताक्षरित हार्ड प्रति तथा कवरिंग पत्र में प्रचलित प्रबन्ध योजना में निर्दिष्ट निर्देशों का हवाला देकर सुस्पष्ट रिपोर्ट उच्च स्तर को भेजनी चाहिए थी किन्तु आपके स्तर से वन भूमि हस्तान्तरण के संवेदनशील प्रकरणों में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है जो कदाचित उचित नहीं है।

2– यह भी देखा गया है कि अंग्रेजी के निर्धारित प्रपत्र भाग –2 के निर्धारित कॉलम –7 में प्रस्तावित कार्य हेतु वांछित वन भूमि की वनसीमा से दूरी में आपके द्वारा उल्लेख किया जा रहा है कि प्रस्तावित वन भूमि वन सीमा के अन्तर्गत है इसलिए आंकड़ो में दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है, गलत है। इसका अर्थ यह है कि आपके प्रभाग के अन्तर्गत जितने भी मोटर मार्ग में प्रस्तावित वन भूमि आ रही है वह अन्त में वनसीमा से लगी है। इसलिए यथास्थिति पर वन सीमा से दूरी दी जाय।

अतः निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय। प्रस्ताव ऑनलाईन वापस लौटाया जाता है तथा वांछित कार्यवाही ऑन लाईन करते हुए उक्त की अनुपालन रिपोर्ट हार्ड प्रति में भी साथ–साथ उपलब्ध करायी जाय।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या (1) / दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुनावृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।